उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

30 मई, 2015 ई0

संख्या 128/2015/XXVII(9)/यू0ओ0–06/स्टाम्प/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य के आपदा प्रभावित 5 जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर में अधिवास कर रहे प्रत्येक अर्ह आपदा प्रभावित लाभार्थी, जो स्वयं खरीद की गयी भूमि अथवा दाननामा (गिफ्ट डीड) के माध्यम से प्राप्त भूमि में अपने भवन का निर्माण करना चाहता है, को भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 11–07–2015, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 वित्त/419–22–07–2015–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।